मुन्नी वगै बनाम श्यामाराम वगै

01–07–2024

अभिभाषक अपीलांट व अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 3 उपस्थित। अभिभाषक अपीलांट ने प्रार्थना पत्र धारा 151 सीपीसी पेश किया जिसकी प्रति अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 3 को दी गई। अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 3 द्वारा प्रस्तुत प्राथमिक आपत्ति पर उभय पक्षों को सुना गया। अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 3 ने प्राथमिक आपत्ति पर बहस करते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में एक दावा अपीलांट के पिता द्वारा पेश किया हुआ था, जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने अदम हाजरी व अदम पैरवी में दिनांक 24–03–2021 को खारिज किया था। वादी/वादी के वारिसों द्वारा उक्त दावे के खिलाफ अधीनस्थ न्यायालय में ही रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जाना चाहिए था लेकिन वादी के वारिसों ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित ना होकर न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर दी। अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज वाद के रेस्टोरेशन का प्रार्थना पत्र उसी न्यायालय में प्रस्तुत किया जाने एवं उक्त आदेश अपीलेबल आदेश नहीं होने के कारण अपीलांट की अपील इसी स्तर पर खारिज फरमाई जावे।

अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दावा 2006 में डिक्री किया जा चुका था एवं उक्त दावे की अपील होने एवं न्यायालय हाजा द्वारा रिमाण्ड किये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय ने दावा पुनः पेशी पर लिया था। द्वितीय अपील के दौरान न्यायालय के समक्ष यह आ चुका था कि वादी की मृत्यु हो चुकी है। अधीनस्थ न्यायालय में दावा तलबी के स्तर पर लम्बित था एवं अधीनस्थ न्यायालय ने वादी के वारिसों को पक्षकार बनाने के बजाय दावा अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज कर दिया। अतः अपील इसी स्तर पर निर्णित करते हुए अधीनस्थ न्यायालय को निर्देश के साथ प्रेषित कर दी जावे।

उभय पक्षों की प्राथमिक आपत्ति पर बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का विधि के परिप्रेक्ष्य में अवलोकन किया गया।

अभिभाषक अपीलांट द्वारा अपील अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 24–03–2021 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। जिसके द्वारा वादी का वाद अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज किया गया है। उक्त अपील में अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 3 ने न्यायालय के समक्ष आकर कथन किया कि अपीलांट को उक्त निर्णय के विरूद्ध में अधीनस्थ न्यायालय में रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जाना था लेकिन अभिभाषक अपीलांट ने ऐसा ना करते हुए उक्त आदेश के विरूद्ध अपील पेश कर दी। अभिभाषक अपीलांट का भी यही मत है कि अपील को इसी स्तर पर फैसल करते हुए अधीनस्थ न्यायालय को निर्देश के साथ प्रेषित कर दी जावे। अतः न्यायहित में अपीलांट की अपील इसी स्तर पर फैसल की जाती है। अपीलांट को निर्देश दिये जाते है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र आदेश दिनांक से 10 दिवस में आवश्यक रूप

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी सत्यमेव जयते बीकानेर

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

से प्रस्तुत करे एवं अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बीकानेर को निर्देश दिये जाते है कि अपीलांट द्वारा प्रस्तुत रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र का विधिवत निस्तारण दो माह में किया जावे। अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रस्तुत धारा 151 सीपीसी के प्रार्थना पत्र व वादगत भूमि की सुरक्षा व संरक्षण हेतु अपीलांट द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र के निस्तारण तक वादगत भूमि के बाबत न्यायालय द्वारा जारी किया गया स्थगन आदेश प्रभावी रहेगा। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर बाद तामील व तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(ओमप्रकाश बिश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर